क्रम-संख्या–198(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 24, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–4

संख्या I-1174521-2025
लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

शुद्धि–पत्र

सा०प०नि०–77

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 को पुनरीक्षित / मानकीकृत / अद्यतन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (29वाँ संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचना संख्या 3040 / नौ–4–2025–05ज–2011, दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी है। उपर्युक्त नियमावली की अनुसूची (एक) जिसमें उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद उल्लिखित हैं, में क्रम–संख्या 26 एवं 32 पर उल्लिखित क्रमशः श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी तथा श्रेणी एक के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के उद्यान अधीक्षक पद के वेतनमान अंकन में हुई लिपिकीय त्रुटि को निम्नवत रूप से संशोधित किया जाता है :–

वर्तमान वेतनमान			संशोधित वेतनमान		
26	श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल–08 ग्रेड–पे 4800 (रु0 47600–रु0 151700)	26	श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल–08 ग्रेड–पे 4800 (रु0 47600–रु0 151100)

32	श्रेणी एक के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के उद्यान अधीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल–08 ग्रेड–पे 4800 (रु0 47600–रु0 151700)	32	श्रेणी एक के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के उद्यान अधीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल–08 ग्रेड–पे 4800 (रु0 47600–रु0 151100)

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 3040/नौ–4–2025–05ज–2011, दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,

पी0 गुरूप्रसाद,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 297 राजपत्र–2025–(922)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 नगर विकास–2025–(923)–100 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।